स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण, शोंगटोंग कर्चम - वांगटू ट्रॉस्मिशन लिमिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हमने शोंगटोंग कर्चम - वांगटू ट्रॉस्मिशन लिमिटेड (" द कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के साथ साथ लाभ तथा हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरणयुक्त सूचना शामिल हैं।

हमारे दृष्टिकोण से और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत यथावश्यक सूचना विहित और अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसकी हानि, इक्किटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

दृष्टिकोंण के लिए आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत यथाविनिदिष्ट लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों के खंड में पुन: किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सिद्धांत संहिता और ऐसी सैद्धांतिक आवश्यकताओं, जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अनुरूप हैं, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और सिद्धांत संहिता के अनुसार अपनी अन्य सैद्धांतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हमारा मानना है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमने जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, वे हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय विवरणों से इतर अन्य सूचना और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में प्रबंधन की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, परन्तु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे दृष्टिकोंण में अन्य जानकारी शामिल नहीं होती है और हम उन पर निष्कर्ष के रूप में किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करने में यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी भौतिक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त की गई जानकारी से भिन्न या असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत सूचना प्रतीत होती है।

हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक रूप से एक गलत सूचना दी गई है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन, इक्किटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने, ऐसे निर्णय करने और अनुमान लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल हैं, जो उचित और तथ्यपरक हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी इसमें शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के अनुरूप थे जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मंडल कंपनी के जारी प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, यथालागू प्रकटन, जारी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए जारी प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए तब तक जिम्मेदार है जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा या तो कंपनी को परिसमाप्त करने या प्रचालन को रोकने का नहीं है या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं होता है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप में किसी भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह किसी धोखाधड़ी या त्रुटि और कोई लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के कारण क्यों न हुई हो, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी बड़ी गलती के होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें तब बड़ी गलती माना जाता है, जब वे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में बड़ी गलती, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि, डिज़ाइन के कारण क्यों न हो, के जोख़िम की पहचान और मूल्यांकन करते हैं और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को उन जोख़िमों के प्रति संवेदशील बनाते हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी दृष्टिकोण के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। धोखाधड़ी के परिणामरूपरूप दिए गए किसी गलत विवरण का पता न लग पाने का जोखिम त्रुटि बस दिए गए गलत विवरण से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में अभिसंधि, जालसाजी, जानबूझकर छोड़ देने, गलत व्याख्या अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिज़ाइन करने के प्रयोजन से लेखापरीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम इस बारे में भी अपना दृष्टिकोण व्यक् करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने अपने यहां पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू की है और ऐसे नियंत्रण प्रभावी तरीके से प्रचालनरत हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों की औचित्यपूर्णता और किए गए प्रकटन का मुल्यांकन करना।
- लेखांकन के निरंतर जारी प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल की उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधारप पर इस बात का निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के जारी प्रतिष्ठान बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है और जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारे दृष्टिकोण को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी कंपनी को जारी प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करते रहने के लिए चिंता का विषय बना बन सकती हैं।
- प्रकटन सिंहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की विषयवस्तु और इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस ढ़ंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए आवश्यक है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण किमयों के बारे में शासन व्यवस्था के प्रभारी अधिकारियों को सूचित करते हैं।

हम शासन व्यवस्था से जुड़े उन लोगों को इस बात से संबंधित एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक सैद्धांतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित किया है, जिन्हें ऐसा माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता के लिए बाधक हो सकते हैं और जहां कहीं भी लागू है, संबंधित सुरक्षोपायों के बारे में भी सूचित किया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

- 1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("द आदेश") के अनुसार यथा आवश्यक हमने इस रिपोर्ट के "अनुबंध ।" में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।
- 2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत जैसा हमने आवश्यक समझा, कंपनी की खाताबही और रिकॉर्डों की ऐसी जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर "अनुबंध ॥" में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।
- 3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत यथावश्यक हम रिपोर्ट करते हैं किः
- क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;
- ख) हमारे दृष्टिकोण में और जैसा कि इन खाताबिहयों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई है;
- ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;
- घ) हमारे दृष्टिकोण में उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं अर्थात उनका अनुपालन करते हैं;
- ड.) एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के संदर्भ में निदेशकों की अनअर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते है;
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंगं के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के लिए "अनुबंध – 'क' " पर हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- छ) अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे दृष्टिकोंण से और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है, इसलिए रिपोर्टिंग की आवश्यकता कि क्या भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों से अधिक है, कंपनी के लिए लागू नहीं होती है;
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारे दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

- I. कंपनी के ऐसे कोई लंबित मुकदमे नहीं हैं, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकें।
- II. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं थीं, जिसके लिए कोई बड़ी दृश्य हानियां हुई हों।
- III. ऐसी कोई भी निधियां नहीं पाई गईं, जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता रही हो।

कृते सुनील सिंघल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीयन संख्या : 008030एन

हस्ताक्षरित

सीए सुनील सिंघल (भागीदार) सदस्यता संख्या 086904 स्थानः नई दिल्ली तारीख:

शोंगटोंग कर्चम - वांगटू ट्रॉस्मिशन लिमिटेड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों के उत्तर

क्र. सं.	प्रश्नावली	उत्तर
	क्या कंपनी ने आईटी प्रणाली के माध्यम से	जी, हां, कंपनी ने आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी
	सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित करने के लिए	लेखांकन लेनदेन संसाधित करने के लिए प्रणाली अर्थात
	प्रणाली लागू की है? यदि हां, तो वित्तीय	ओरेकल लागू की है । हमारे दृष्टिकोण में और हमारी
	बाध्यताओं, यदि कोई हैं, के साथ साथ	सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार
	लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली के	कंपनी के पास ओरेकल में पोस्ट की गई पृविष्टियों की सत्यता
	बाहर लेखांकन लेनदेन संसाधित करने में	का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली मौजूद
	आने वाली विवक्षाओं का उल्लेख किया जाए।	है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की	कर्ज / ऋण / ब्याज आदि की कोई भी राशियों में छूट / बट्टे
	असमर्थता के कारण कंपनी के लिए किसी	खाते में डालने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है,
	ऋणदता द्वारा किए गए किसी मौजूदा ऋण	अत: यह खंड लागू नहीं होता है।
	के पुनर्गठन अथवा कर्ज / ऋणों / ब्याज़ आदि	6
	में छूट / बट्टे खाते में डालने के कोई मामले	
	सामने आए हैं? यदि हां, तो उसके वित्तीय	
	प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	
3.	क्या केंद्र / राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट	कंपनी के पास केंद्र / राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट
	योजनाओं के लिए प्राप्त की गई / प्राप्त होने	योजनाओं के लिए प्राप्त की गई / प्राप्त होने वाली कोई
	वाली निधियों की उचित ढ़ंग से गणना की	निधियां नहीं हैं, अत: यह खंड लागू नहीं होता है।
	गई / इसकी निबंधन और शर्तों के अनुसार	
	उनका सदुपयोग किया गया? विचलन के	
	मामलों को सूचीबद्ध करें।	

कृते सुनील सिंघल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीयन संख्या : 008030एन

हस्ताक्षरित

सीए सुनील सिंघल (भागीदार) सदस्यता संख्या 086904 स्थानः नई दिल्ली तारीख:

शोंगटोंग कर्चम - वांगटू ट्रॉस्मिशन लिमिटेड के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध – III

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए शोंगटोंग कर्चम - वांगटू ट्रॉस्मिशन लिमिटेड (''द कंपनी'') के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 ("द एक्ट") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शोंगटोंग कर्चम - वांगटू ट्रॉस्मिशन लिमिटेड ("द कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें उसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी के व्यापारिक कार्यकलापों का क्रमबद्ध ढंग से तथा प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली तरीके से चल रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल हैं, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथावश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (द "गाइडेंस नोट") और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए यथालागू सीमा तक लागू कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत यथाविहित माने गए और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट के तहत यह आवश्यक है कि हम सैद्धांतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की आयोजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है और उसे बनाए रखा गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी संदर्भों में प्रभावशाली ढंग से लागू किए गए।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में जानकारी (समझ) प्राप्त करना, ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करना शामिल है कि वहां कोई बड़ी चूक या गडबड़ी हुई है तथा मूल्यांकित जोखिमों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के परीक्षण और मूल्यांकन को भी इसमें शामिल किया गया। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन भी शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करने की दृष्टि से हमने जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, वे पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर उसका आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन देने के लिए डिजाइन की जाती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर उसके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) ऐसे रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरणों के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेनों और जमा राशियों की परिशुद्ध और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती हैं; (2) इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए यथावश्यक लेनदेन को रिकार्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, इस्तेमाल अथवा जमा करने के संबंध में समय पर पता लगाने अथवा उनकी रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतरनिहित सीमाएं

जिटलता की संभावना, अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों की अतिव्याप्ति सिहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के फलस्वरूप बड़ी और गलत जानकारी दिए जाने की घटना घटित हो सकती है और यह भी संभव है कि उसका पता भी न चले। इसके अलावा, भावी अविधयों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन संबंधी पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री प्रभावित हो सकता है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण में कंपनी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर सभी वास्तविक संदर्भों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे।

कृते सुनील सिंघल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीयन संख्या : 008030एन हस्ताक्षरित

सीए सुनील सिंघल (भागीदार) सदस्यता संख्या 086904 स्थानः नई दिल्ली

तारीख:

अनुपालन का प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों / उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए शोंगटोंग कर्चम - वांगटू ट्रॉस्मिशन लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित की है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों / उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते सुनील सिंघल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीयन संख्या : 008030एन

हस्ताक्षरित

सीए सुनील सिंघल (भागीदार) सदस्यता संख्या 086904

स्थानः नई दिल्ली तारीख: